



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 802]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2009/वैशाख 30, 1931

No. 802]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2009/VAISAKHA 30, 1931

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2009

का.आ. 1286(अ).—“जिप्सम खानों, बैराइट्स खानों, बाक्साइट खानों, मैंगनीज खानों, चाइना क्ले खानों, क्यानाइट खानों, तांबा खानों, क्ले खानों, मेग्नेसाइट खानों, व्हाइट क्ले खानों, पत्थर खानों, स्टीटाइट खानों (सोप स्टोन एवं टैल्क उत्पादित करने वाली खानों सहित), गेरू खानों, एम्बेस्टस खानों, फायर क्ले खानों, क्रोमाइट खानों, क्वार्टजाइट खानों, क्वाटाइज खानों, सिलिका खानों, ग्रेफाइट खानों, फेल्सपर खानों, लेटेराइट खानों, डोलोमाइट खानों, रेड ऑक्साइड खानों, बोलफ्राम खानों, लौह अयस्क खानों, ग्रेनाइट खानों, रॉक फास्फेट खानों, हेमेटाइट खानों, संगमरमर खानों और कैल्साइट खानों, यूरेनियम खानों, अभ्रक खानों, लिग्नाइट खानों, ग्रेवल खानों, स्लेट खानों एवं मेग्नेटाइट खानों,” में लगे कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाली दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर को संशोधित करने के प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का.आ. 133(अ) में दिनांक 13 जनवरी, 2009 को भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा यथापेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी और उनसे उस तारीख से, जिसको अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गयी थी, दो मास की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव आर्मात्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 14 जनवरी, 2009 को साधारण जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) और धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (1) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सलाहकार बोर्ड के साथ परामर्श करने के पश्चात्, इस अनुसूचित नियोजन में नियोजित कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी दरों को नियत करती है।

मजदूरी को न्यूनतम दरें, जो इस अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगी, निम्नलिखित शामिल होगा—

(क) इसमें संलग्न अनुसूची के भाग 1 के स्तंभ (3) और (4) में उपवर्णित और स्तंभ (2) में उल्लिखित खानों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रवर्गों का संदेय मजदूरी की मूलभूत दरें; और

(ख) उक्त अनुसूची के भाग II में विशेष भत्ता (जिसे इसके पश्चात् परिवर्ती महँगाई भत्ता कहा गया है) को उक्त अनुसूची के भाग II के स्तंभ (3) और (4) में उल्लिखित दर पर प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर को समाप्त छमाही की पूर्ववर्ती अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के आधार पर क्रमशः 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल को शुरू होने वाली छमाही के अंतराल पर मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा समायोजित किया जाएगा।

अनुसूची

भाग-1

क्र. सं.	कर्मचारियों का प्रवर्ग	मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें प्रति दिवस (रुपयों में)	
		भूमि के ऊपर	भूमि के नीचे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अकुशल	120.00	150.00
2.	अर्ध कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	150.00	180.00
3.	कुशल	180.00	210.00
4.	अत्यधिक कुशल	210.00	240.00

भाग-2

क्र. सं.	कर्मचारियों का प्रवर्ग	परिवर्ती महंगाई भत्ते की दर (आधार वर्ष 2001=100) के पश्चात् औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 133 अंक से अधिक प्रत्येक अंक की वृद्धि या कमी के लिए जो जुलाई-दिसम्बर, 2007 की अवधि के लिए है।	
		भूमि के ऊपर	भूमि के नीचे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अकुशल	0.90 रुपये	1.13 रुपये
2.	अर्ध कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	1.13 रुपये	1.35 रुपये
3.	कुशल और लिपिकीय	1.35 रुपये	1.58 रुपये
4.	अत्यधिक कुशल	1.58 रुपये	1.80 रुपये

भाग-3

कर्मकारों का वर्गीकरण
अकुशल कर्मकार

1. चौकीदार	2. क्लीनर	3. ड्रैसर/ड्रैसिंग मजदूर
4. श्रमिक	5. लोडर	6. मजदूर (महिला/पुरुष)
7. संदेश वाहक (महिला/पुरुष)	8. ट्रेमर	9. केयर टेकर (कॉपर, क्रोमाइट और ग्रेफाइट खानों को छोड़कर, जहां यह अर्द्ध कुशल है)
10. कार्यालय चपरासी/चपरासी (बॉक्साइट खानों को छोड़कर)	11. सफाई वाला (महिला/पुरुष)	12. वाहक
13. नंबर टेकर	14. ट्राली ट्रिपर	15. वाटर कैरियर
16. होल कटर	17. अर्थ कटर	18. सर्वेक्षण खलासी
19. मशीनों पर कार्य न करने वाला खलासी	20. वाहक (पत्थर)	21. कार्टमैन

22. कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला)	23. ड्राइवर (खच्चर) बैल, ऊँट, गधा)	24. लैम्पमैन
25. पेट्रोल मैन	26. वाटर मैन	27. बेलदार/बेलदार (कैन्टीन)
28. कुली	29. ब्रेकर (दस्ती औजार इस्तेमाल करने वाला)	30. खानसामा सहायक
31. ऑफिस बॉय	32. वॉचमैन/चौकीदार	33. खदान मजदूर
34. जैली मेकर	35. अति भार हटाने वाला	36. रद्दी हटाने वाला मजदूर
37. अनलोडर	38. एक्सकेवेटिंग लेबर	39. डिगर
40. कसाई	41. अटेंडर	42. कम्प्रेसर अटेंडेन्ट
43. लारी हैलपर	44. भूतल लोडर	45. वुड कटर
46. भूतल मुकर	47. भूमिगत मुकर	48. सहायक और अन्य किसी भी नाम वाले किसी अन्य श्रेणी वाले अकुशल कर्मकार

अर्द्ध कुशल कर्मकार/अकुशल पर्यवेक्षी

1. भिश्ती	2. सहायक ड्रिलर	3. खनिक
4. बटलर/खानसामा	5. ब्रेकर (यंत्रिकृत औजार इस्तेमाल करने वाला)	6. क्रेच आया/आया/अप्रशिक्षित क्रेच सहायक
7. अप्रशिक्षित मेट/खनन मेट/धातुमय खान विनियम, 1961 के अंतर्गत बिना सक्षमता प्रमाण-पत्र वाला	8. आयलमैन/ऑयलर	9. मुख्य चौकीदार
10. हैलपर (मैसन, कारपेन्टर, ब्लैकस्मिथ)	11. टिन्डल्स	12. मुक्कदम (धातुमय बुलडोजर ड्राइवर खान विनियम, 1961 के अंतर्गत बिना सक्षमता प्रमाण-पत्र वाला)
13. पम्प अटेंडेन्ट (जिप्सम, बैराइट्स और रॉक फासफेट को छोड़कर)	14. खलासी (बुलडोजर)/पम्प खलासी/डम्पर खलासी, कम्प्रेसर खलासी	15. मशीनें देखने वाला खलासी
16. क्वैरी मैन	17. क्वैरी ऑपरेटर	18. स्टॉकर
19. स्टोर मैन	20. थैचर	21. थुम्बा मैन
22. ट्राली मैन	23. जमादार	24. बैरा (बीयरर)
25. सफेदी करने वाला	26. ब्रेक मैन	27. टोपाज
28. टोपकर	29. हैलपर (लोको, क्रेन, ट्रक)	30. ऐज रनर
31. पैक वालर्स	32. राक वालर्स	33. जैक हैमर
34. पिलर मैन	35. बैंक्स मैन	36. कैश गार्ड
37. चैकर	38. धोबी (पुरुष/महिला)	39. फायर मैन (माइका खानों को छोड़कर जहां यह कुशल हैं)

40. हैमर मैन	41. ग्राइंडर	42. ग्रीसर
43. माली/बागवान	44. प्वाइंट्स मैन	45. अन्टैन्डेंट
46. टेलिफोन अटैन्डेंट	47. बॉयलर मैन (बिना प्रमाण-पत्र वाला)	48. सहायक ब्लास्टर
49. क्रशर ऑपरेटर	50. लैम्प कक्ष इंचार्ज/अटैन्डेंट	51. सैम्पलर/सैम्पलर बॉय
52. स्टोन कटर और ड्रेसर	53. डेंसर ग्रेड-II	54. सुरक्षा गार्ड (निशस्त्र/मुख्य चौकीदार)
55. सिपाही	56. मीटर रीडर	57. तांबा, क्रोमाइट तथा ग्रेफाइट खानों के केयर टेकर
58. सहायक ड्रिल प्रचालक	59. कैन्टीन बॉय	60. बटलर-सह-रसोइया
61. वेन्टीलेशन फैन परिचर	62. औजार तेज करने वाला	63. पिकर (पुरुष/महिला)
64. चार्ज रूम परिचर	65. सहायक मिस्त्री	66. सहायक फिटर
67. यांत्रिक सहायक	68. मेल डाक रनर	69. परिचर श्रेणी 'ग'
70. प्रयोगशाला परिचर	71. श्रमिक सिरधार	72. हलवाई
73. कैन्टीन परिचर	74. सिग्नल मैन	75. डाक बॉय
76. वार्ड बॉय	77. प्रयोगशाला बॉय	78. चपरासी, केवल बाक्साइट खानों में
79. वरिष्ठ सफाईवाला	80. सुरक्षा गार्ड	81. कतरन उठाने वाला (शीयरर)
82. वास्ट कटर	83. गन-मैन	84. विस्फोटक ले जाने वाला
85. गेज वर्कर	86. डिस्क कर्मकार	87. सॉर्टर
88. माइका कटर ग्रेड-II	89. चीजलमैन	90. फॉयर क्ले प्रेस अथवा शोषक एवं परिशोधन भूमि काटने के लिए अपेक्षित अधिभार के अलावा
91. श्रमिक दफादार	92. खान दफादार	93. मैनुअल चिल्ली ब्रेकर
94. मैनुअल ब्लास्ट/मैटल ब्रेकर और कर्मकारों का कोई अन्य प्रवर्ग जो अर्धकुशल हो और उसे चाहे जिस भी नाम से पुकारा जाता हो ।		

कुशल कर्मकार

1. एअरविन्ड हॉलेज आपरेटर	2. ऑटो इलैक्ट्रिशियन	3. पेन्टर
4. लुहार	5. टेलर	6. कम्प्रेसर आपरेटर

7. ब्लास्टर/शॉट फायरर	8. ड्राइवर	9. प्रधान रसोइया
10. चार्जमैन	11. बढई	12. कंकरीट मिक्सर प्रचालक
13. कम्प्रेसर परिचर	14. एयर कम्प्रेसर परिचर	15. ट्रैक्टर ड्राइवर
16. वाहन चालक	17. कैमिस्ट और सहायक कैमिस्ट	18. उप-ओवरसियर (गैर-योग्यता प्राप्त)
19. ड्रिलर	20. हैंडहोल ड्रिलर	21. ड्रिल मिस्त्री
22. ड्राइवर ऑटो	23. इलेक्ट्रिशियन	24. बेतार प्रचालक सहायक फोरमैन
25. फोरमैन	26. फिटर	27. मांझी
28. इस्थूअर लोको	29. सुपर फोरमैन	30. उत्तोलक प्रचालक
31. आई एम सी ई चालक	32. चालक (ड्राइवर)	33. लोको ड्राइवर
34. लोडर प्रचालक	35. लाइनमैन	36. मैकेनिक/मशीनिस्ट
37. राज	38. दाई	39. टिनकार
40. पर्यवेक्षी मिस्त्री	41. पम्प परिचर केवल जिप्सम, बैराइट्स एवं रॉक फॉस्फेट में	42. पम्प प्रचालक/चालक
43. खनन मेट धातुमय खान विनियमन, 1961 के अंतर्गत सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित	44. मिस्त्री	45. कुशल मजदूर
46. टर्नर	47. वरिष्ठ मैकेनिक	48. पाइप फिटर
49. पर्यवेक्षक	50. ड्राफ्ट्स मैन	51. वायरमैन
52. टिम्बरमैन/टिम्बर मिस्त्री इलेक्ट्रिशियन	53. पत्थर पीसने वाला प्रचालक	54. पेराई चालक
55. मोल्डर	56. वेल्डर	57. प्रचालक
58. वर्क मिस्त्री	59. इंजन चालक	60. खनन इंजन चालक ग्रेड-II
61. इंजन वाला	62. वाल्वमैन	63. कटर
64. वाइंडिंग इंजन चालक ग्रेड-II	65. वाच एण्ड वार्ड प्रभारी	66. शोवल प्रचालक
67. लिम्को लोडर प्रचालक	68. सर्फेस पर्यवेक्षक	69. डोजर प्रचालक
70. कम्प्रेसर ड्रिलर	71. डम्पर ट्रैक्टर प्रचालक	72. बायलर मैन (प्रमाण-पत्र सहित)
73. मशीनरी परिचर	74. वातानुकूलन मिस्त्री	75. शिशुसदन (क्रेच) परिचर, केवल मैगनिसाइट, मैगनीज तथा अभ्रक खानों में
76. पॉवर शोवल प्रचालक	77. पॉवर तथा पम्प हाउस प्रचालक	78. खनिक ग्रेड-I
79. ट्रैक्टर प्रचालक	80. टब की मरम्मत वाला	81. लेथ मिस्त्री
82. स्थिर इंजन परिचर	83. जेनरेटर प्रचालक	84. लोडिंग फोरमैन

255

85. डीजल मिस्ट्री	86. फ़ैरो-प्रिन्टर एवं चेयरमैन	87. कर्षण प्रचालक
88. औषधालय परिचर	89. वर्क सकार	90. अभ्रक काटने वाला ग्रेड-1
91. ड्रेसर ग्रेड-1 अभ्रक	92. पर्यवेक्षी फायरमैन	93. फायरमैन केवल अभ्रक खानों में
94. कम्प्रेसर चालक	95. पम्प मैन चालक	96. पीसनहारा अभ्रक खानों में
97. सिरधार लेथमैन	98. मुक्कदम (धातुमय खान विनियमन, 1961 के अंतर्गत सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित)	99. भूविज्ञानी
100. सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र) और कर्मकारों का कोई अन्य प्रवर्ग जो कुशल हैं और चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाता हो।		

लिपिकीय कर्मकार

1. भंडार लिपिक	2. मिलान लिपिक	3. सामान जारी करने वाला
4. औजार रखने वाला	5. संगणक	6. अभिलेख-पाल
7. ट्रेसर	8. फाइल लिपिक	9. पंजिका-पाल (रजिस्टर कीपर)
10. समय-पाल (टाइम-कीपर)	11. लिपिक	12. मुंशी
13. भंडार परिचर	14. टेलर लिपिक	15. टंकक
16. शस्त्रागार लिपिक	17. टेलेक्स या टेलिफोन प्रचालक	18. हिन्दी अनुवादक
19. सहायक	20. पुस्तकालयाध्यक्ष	21. सहायक शस्त्रागार लिपिक
22. स्टोर-कीपर और कर्मकारों का अन्य प्रवर्ग जो लिपिकीय हैं, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाता हो।		

उच्च कुशल कर्मकार

1. कम्पाउन्डर	2. ओवरसीयर	3. सर्वेक्षक
4. वाइंडिंग इंजन चालक	5. प्रचालक (भारी अर्थ मूविंग) शोवल तथा बुल-डोजर	6. प्रधान मिस्ट्री
7. स्टाफ नर्स डिप्लोमा सहित	8. ड्रिल आपरेटर जैक हैमर के अलावा	9. बिजली पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित
10. भूमिगत पाली प्रभारी	11. प्रधान मैकेनिक	12. योग्यता प्राप्त और अनुभवी वेल्डर

13. मशीनी औजार मैकेनिक	14. यांत्रिकी/संयंत्र फोरमैन	15. खनन पर्यवेक्षक
16. व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदेशक/अध्यापक	17. प्रधान बिजली मिस्त्री	18. लेखाकार
19. आशुलिपिक 7 वर्ष की सेवा सहित	20. भंडार प्रभारी	21. पाली प्रभारी
22. पर्यवेक्षक और कर्मकारों का अन्य कोई प्रवर्ग जो उच्च कुशल हैं, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाता हो ।		

स्पष्टीकरण :- अधिसूचना के प्रयोजन के लिए

1. मजदूरी की न्यूनतम दरों में मूल दरें, निर्वाह भत्ते अर्थात् विशेष भत्ते की लागत तथा आवश्यक वस्तुओं की रियायती आपूर्ति का नकद मूल्य, यदि कोई हो, सहित सभी कुछ अंतर्विष्ट हैं ।
2. मजदूरी की न्यूनतम दरों में साप्ताहिक अवकाश दिवस की मजदूरी भी अंतर्विष्ट है।
3. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी।
4. निःशक्त व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित श्रेणी के कर्मकारों को संदेय दरों के समान ही होगी ।
5. (क) “अकुशल कार्य” से कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य को कौशल या अनुभव वाला अल्प या शून्य अपेक्षा साधारण कार्य प्रचालन अंतर्विष्ट है;

(ख) “अर्ध-कुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसके लिए कार्य के संबंध में अनुभव द्वारा अर्जित कुछ मात्रा में कौशल या सक्षमता अंतर्विष्ट है और जो एक कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अंतर्गत किये जाने के योग्य है और इसमें पर्यवेक्षी कार्य सम्मिलित है;

(ग) “कुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के संबंध में अनुभव द्वारा या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में एक शिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कौशल या सक्षमता अंतर्विष्ट है और जिसके निष्पादन के लिए पहल करने या निर्णय लेने की आवश्यकता है;

(घ) “खनिक” से वह कर्मकार अभिप्रेत है जो किसी खान में उत्खनन, बटोरने, छंटाई, ड्रेसिंग, संसाधन और भार ढोने और अन्य आनुषंगिक कार्यों के माध्यम से खुदाई/निष्कर्षण के कार्य में सीधे लगे हुए हैं; और

(ड) “अति कुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसके लिए कतिपय कार्यों के निष्पादन में उच्च श्रेणी में पूर्णता और पूर्ण सक्षमता आवश्यक है जो गहन तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा दीर्घ अवधि के लिए व्यावहारिक कार्य अनुभव के माध्यम से अर्जित की हो और इसमें कर्मचारी को अपने कार्य के निष्पादन में शामिल उसके निर्णय या विनिश्चय के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व भी आवश्यक है।

6. किसी खान में कार्यरत या नियोजित अथवा इसके संबंध में कार्यरत अथवा नियोजित व्यक्ति को “भूमिगत” कार्यों में या नियोजित कहा जाता है यदि वह निम्नलिखित में कार्यरत अथवा नियोजित हो :-

- (i) ऐसी शाफ्ट जो पानी में डूबी हुई हो अथवा डूबने की अवस्था में हो; या
- (ii) उपरिवर्ती भूमि के नीचे किए जाने वाले उत्खनन में; या
- (iii) किसी ऐसी ओपन कास्ट में कार्य जिसमें इसके उच्चतम शिखर से इसके सबसे निचले बिन्दु तक की मापी गई गहराई छः मीटर से अधिक हो।

7. जहां किसी संविदा अथवा अन्यथा के आधार पर किसी कर्मचारी की मजदूरी की न्यूनतम दरें अधिसूचित दरों से उच्च हैं, वहां उच्चतर दरें संरक्षित होंगी और इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए लागू मजदूरी की न्यूनतम दरों के रूप में मानी जाएंगी।

8. जहां किसी क्षेत्र में पत्थर खानों के संबंध में इस अधिसूचना के अनुसार निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें किसी खान या खदान अथवा किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत किए जाने वाले पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने से संबंधित कार्यों के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरों से उच्चतर हैं, वहां पत्थर खानों के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों को मजदूरी की उच्च दर संदेय होगी और उस मजदूरी को इस अधिसूचना के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दर समझा जाएगा।

9. पुरुष और महिला कर्मचारियों को समान प्रकृति के कार्य या कार्यों के लिए समान दर पर मजदूरी प्राप्त होगी।

10. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अंतर्गत प्रवर्तनीय मजदूरी की न्यूनतम दरों में मजदूरी की न्यूनतम दरें और परिवर्ती महंगाई भत्ता, दोनों शामिल हैं।

[फा. सं. एस-32017/4/2008-डब्ल्यू. सी. (एम.डब्ल्यू.)]

हरचरण सिंह, उप महानिदेशक